रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2222] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 2016/भाद्र 21, 1938
No. 2222] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 2016/BHADRA 21, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2016

का.आ. 2922(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची V में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V में,-

(क) भाग I में, नियुक्ति में,-

(i) पैरा (क) में, उप-पैरा (vi) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(vi) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या पूर्व कंपनी विधि के अधीन"

(ख) भाग II में, खंड II के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"खंड-II

बिना लाभ या अपर्याप्त लाभ वाली कंपनियों द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना देय पारिश्रमिक

यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी प्रबंधकीय व्यक्ति के कार्य अवधि के प्रचलन के दौरान, किसी कंपनी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ हो या इसके लाभ अपर्याप्त हों, तो वह कंपनी केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना अपने प्रबंधकीय व्यक्ति को पारिश्रमिक दे सकती है, जो निम्नलिखित (क) और (ख) के अधीन दी गई सीमाओं से अधिक न हो :-

(क):

(1)	(2)
जहां प्रभावी पूंजी	**देय वार्षिक पारिश्रमिक की सीमा, (रुपए) से अधिक नहीं होगी।**
(i) नेगेटिव या 5 करोड़ रुपए से कम हो	60 लाख
(ii) 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक परंतु 100 करोड़ रुपए से कम हो	84 लाख
(iii) 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक परंतु 250 करोड़ रुपए से कम हो	120 लाख
(iv) 250 करोड़ रुपए और उससे अधिक	120 लाख रुपए जमा 250 करोड़ रुपए से अधिक की प्रभावी पूंजी का 0.01%:

परंतु यदि शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्प कोई विशेष संकल्प है तो उपर्युक्त सीमाओं को दोगुना कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – यह एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि एक वर्ष से कम अवधि की सीमा अनुपातिक होगी।

(ख) किसी प्रबंधकीय व्यक्ति, जो वृत्तिक हैसियत से कार्यरत है, के मामले में, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, यदि ऐसे प्रबंधकीय व्यक्ति की कंपनी या इसकी नियंत्री कंपनी या इसकी समनुषंगी कंपनियों की पूंजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या किसी अन्य सांविधिक संरचना के जरिए कोई हित न हो और जो पिछले दो वर्षों के दौरान नियुक्ति की तारीख से पूर्व या के समय या उसके पश्चात किसी भी समय कंपनी या इसकी नियंत्री कंपनी या इसकी समनुषंगी कंपनियों के निदेशकों और संप्रवर्तकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित न रखता हो या उनसे संबंधित न हो और जो स्नातक स्तर की अर्हता रखता हो और कंपनी के प्रचालन क्षेत्र में विशेषज्ञ हो और विशेष ज्ञान रखता हो :

परंतु किसी कंपनी का कोई कर्मचारी, जिसे कर्मचारियों के आवंटन के लिए तैयार किसी योजना के अधीन जिसमें कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना शामिल हो, के अधीन या अर्हता के द्वारा किसी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का अधिकतम 0.5% के शेयर रखने वाले को कंपनी की पूंजी में हित न रखने वाला व्यक्ति समझा जाएगा :

परंतु यह और कि इस धारा की मद (क) और (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाएं लागू होंगी, यदि-

(i) पारिश्रमिक का संदाय बोर्ड द्वारा पारित किसी संकल्प द्वारा अनुमोदित किया गया है और, धारा 178 की उप-धारा (1) के अधीन आने वाली कंपनी के मामले में नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुमोदित भी किया गया हो;

(ii) कंपनी ने ऐसे प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति की तारीख से पहले पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में तीस दिन की एक लगातार अवधि के लिए अपने ऋणों (सार्वजनिक जमाओं सहित) के पुनर्भुगतान या डिबेंचरों या उन पर देय ब्याज के किसी भुगतान में कोई चूक नहीं है और किसी चूक के मामले में, कंपनी प्रस्तावित पारिश्रमिक के लिए प्रतिभूत लेनदारों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करती है और ऐसे पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए जाने के तथ्यों का उल्लेख साधारण अधिवेशन बुलाने के नोटिस के व्याख्यात्मक विवरण में किया जाता है;

(iii) कंपनी के साधारण अधिवेशन, में तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए, मद (क) में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के लिए, यथास्थिति, कोई सामान्य संकल्प या कोई विशेष संकल्प, पारित किया गया हो, या मद (ख) के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के लिए कोई विशेष संकल्प पारित किया गया है।

(iv) खंड (iii) में संदर्भित साधारण अधिवेशन बुलाने की सूचना के साथ शेयरधारकों को एक विवरण दिया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं अंतर्विष्ट हों, अर्थात् :-

I. सामान्य सूचना :

(1) उद्योग की प्रकृति

(2) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख या संभावित तारीख

(3) नई कंपनियों के मामले में, विवरणिका में दिखाई गई वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार क्रियाकलापों को प्रारंभ करने की संभावित तारीख

(4) दिए गए सूचकांकों के आधार पर वित्तीय निष्पादन

(5) विदेशी निवेश या सहयोग, यदि कोई हो।

II. नियुक्त व्यक्ति के बारे में सूचना :

(1) पृष्ठभूमि विवरण
(2) पूर्व पारिश्रमिक
(3) मान्यता और पुरस्कार
(4) नौकरी का वर्णन और उसकी उपयुक्तता
(5) प्रस्तावित पारिश्रमिक
(6) उद्योग, कंपनी के आकार, स्थिति और व्यक्ति के प्रालेख के संबंध में तुलनात्मक पारिश्रमिक प्रालेख (प्रवासी के मामले में, उसके मूल देश के संबंध में सुसंगत ब्यौरा)
(7) कंपनी या प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय संबंध, यदि कोई हो।

III. अन्य सूचना :

(1) हानि या अपर्याप्त लाभों के कारण
(2) सुधार के लिए किए गए या प्रस्तावित उपाय
(3) परिमेय शब्दों में, उत्पादकता और लाभों में प्रत्याशित वृद्धि

IV. प्रकटीकरण

निम्नलिखित प्रकटीकरण, यदि कोई हैं तो, वित्तीय विवरण में संलग्नित “कारपोरेट गवर्नेंस” शीर्षक के अंतर्गत निदेशक मंडल रिपोर्ट में उल्लिखित किए जाएंगे :-

(i) सभी निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज के सभी तत्व जैसे कि वेतन, लाभ, बोनस, पूंजी विकल्प, पेंशन आदि;
(ii) उपलब्धि मापदंड सहित निश्चित घटक और उपलब्धि संयोजित प्रोत्साहन विवरण;
(iii) सेवा संविदा, नोटिस अवधि, विच्छेद शुल्क; और
(iv) पूंजी विकल्प विवरण, यदि कोई है तो, और क्या उसे छूट पर जारी किया गया है और वह अवधि जिस पर यह प्रोद्भूत और प्रयोज्य है।

स्पष्टीकरण : इस भाग के खंड II के उद्देश्य के लिए “सांविधिक संरचना” का अर्थ ऐसे निकाय से है जो किसी संविधि के तहत गठित किसी भी कम्पनी का शेयर रखने का हकदार है।”

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/5/2013 सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V तारीख 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त हुई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2016

S.O. 2922(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following amendments to amend Schedule V of the said Act, namely:—

2. In Schedule V of the Companies Act, 2013,-

(a) in Part I, in Appointments,-

(i) in para (a), for sub-paragraph (vi), the following sub-paragraph shall be substituted, namely;-

“(vi) the Companies Act,2013 (18 of 2013) or any previous company law”

(b) in part II, for section II, the following section shall be substituted, namely:-

"Section II

Remuneration payable by companies having no profit or inadequate profit without Central Government approval

Where in any financial year during the currency of tenure of a managerial person, a company has no profits or its profits are inadequate, it may, without Central Government approval, pay remuneration to the managerial person not exceeding the limits under (A) and (B) given below:-

(A) :

(1)	(2)
Where the effective capital is	Limit of yearly remuneration payable shall not exceed (Rupees)
(i) Negative or less than 5 crores	60 lakhs
(ii) 5 crores and above but less than 100 crores	84 lakhs
(iii) 100 crores and above but less than 250 crores	120 lakhs
(iv) 250 crores and above	120 lakhs *plus* 0.01% of the effective capital in excess of Rs. 250 crores :

Provided that the above limits shall be doubled if the resolution passed by the shareholders is a special resolution.

Explanation.- It is hereby clarified that for a period less than one year, the limits shall be pro-rated.

(B) In case of a managerial person who is functioning in a professional capacity, no approval of Central Government is required, if such managerial person is not having any interest in the capital of the company or its holding company or any of its subsidiaries directly or indirectly or through any other statutory structures and not having any direct or indirect interest or related to the directors or promoters of the company or its holding company or any of its subsidiaries at any time during the last two years before or on or after the date of appointment and possesses graduate level qualification with expertise and specialised knowledge in the field in which the company operates:

Provided that any employee of a company holding shares of the company not exceeding 0.5% of its paid up share capital under any scheme formulated for allotment of shares to such employees including Employees Stock Option Plan or by way of qualification shall be deemed to be a person not having any interest in the capital of the company:

Provided further that the limits specified under items (A) and (B) of this section shall apply, if-

(i) payment of remuneration is approved by a resolution passed by the Board and, in the case of a company covered under sub-section (1) of section 178 also by the Nomination and Remuneration Committee;

(ii) the company has not committed any default in repayment of any of its debts (including public deposits) or debentures or interest payable thereon for a continuous period of thirty days in the preceding financial year before the date of appointment of such managerial person and in case of a default, the company obtains prior approval from secured creditors for the proposed remuneration and the fact of such prior approval having been obtained is mentioned in the explanatory statement to the notice convening the general meeting;

(iii) an ordinary resolution or a special resolution, as the case may be, has been passed for payment of remuneration as per the limits laid down in item (A) or a special resolution has been passed for payment of remuneration as per item (B), at the general meeting of the company for a period not exceeding three years.

(iv) a statement along with a notice calling the general meeting referred to in clause (iii) is given to the shareholders containing the following information, namely:-

I. General information:

(1) Nature of industry

(2) Date or expected date of commencement of commercial production

(3) In case of new companies, expected date of commencement of activities as per project approved by financial institutions appearing in the prospectus

(4) Financial performance based on given indicators

(5) Foreign investments or collaborations, if any.

II. Information about the appointee:

(1) Background details

(2) Past remuneration

(3) Recognition or awards

(4) Job profile and his suitability

(5) Remuneration proposed

(6) Comparative remuneration profile with respect to industry, size of the company, profile of the position and person (in case of expatriates the relevant details would be with respect to the country of his origin)

(7) Pecuniary relationship directly or indirectly with the company, or relationship with the managerial personnel, if any.

III. Other information:

(1) Reasons of loss or inadequate profits

(2) Steps taken or proposed to be taken for improvement

(3) Expected increase in productivity and profits in measurable terms

IV. Disclosures

The following disclosures shall be mentioned in the Board of Director's report under the heading "Corporate Governance", if any, attached to the financial statement:

(i) all elements of remuneration package such as salary, benefits, bonuses, stock options, pension, etc., of all the directors;

(ii) details of fixed component and performance linked incentives along with the performance criteria;

(iii) service contracts, notice period, severance fees; and

(iv) stock option details, if any, and whether the same has been issued at a discount as well as the period over which accrued and over which exercisable.

Explanation : For the purposes of Section II of this part, "Statutory Structure" means any entity which is entitled to hold shares in any company formed under any statute. ".

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

[F. No. 1/5/2013 CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: Schedule V of the Companies Act, 2013 came into force with effect from the 1st April, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.15 12:05:59 +05'30'